न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रभा गौतम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
200/200(रा.अ.) (GCMS 2022/200)	06.12.2022	23.02.2026

अनवान

शंकर पिता भाना गाडरी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी रावतपुरा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थी

बनाम

1. रामलाल पिता मोडा गाडरी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी रावतपुरा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. बालूराम पिता मोडा गाडरी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी रावतपुरा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. कंकू पिता मोडा गाडरी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी रावतपुरा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थीगण

–:: अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, डूंगला प्रकरण संख्या 009/2021 किस्म मुकदमा आपसी बंटवाडा निर्णय दिनांक 22.11.2021 ::–

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
201/200(रा.अ.) (GCMS 2022/201)	06.12.2022	23.02.2026

अनवान

शंकर पिता भाना गाडरी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी रावतपुरा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थी

बनाम

1. रामलाल पिता मोडा गाडरी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी रावतपुरा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. बालूराम पिता मोडा गाडरी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी रावतपुरा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. कंकू पिता मोडा गाडरी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी रावतपुरा तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:: अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, डूंगला प्रकरण संख्या 008/2021 किस्म मुकदमा आपसी बंटवाडा निर्णय दिनांक 22.11.2021 ::–

उपस्थिति :– ललित लढा — अपीलार्थी
अनुपस्थित — प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3
भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता) — प्रत्यर्थी संख्या 4

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय तहसीलदार डूंगला प्रकरण संख्या 009/2021 निर्णय दिनांक 22.11.2021 पेश कर निवेदन किया कि मौजा रावतपुरा पटवार हल्का रावतपुरा तहसील डूंगला की आराजी संख्या 22, 23, 24 एवं 25 कुल किता 04 कुल रकबा 3.14 हैक्टेयर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण की संयुक्त खातेदारी के संबंध में अधीनस्थ तहसीलदार डूंगला द्वारा बंटवाडा दिनांक 22.11.2021 न्याय नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

इस पर अपील अपीलार्थी प्रकरण संख्या 200/2022(रा.अ.) पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया, एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर न्यायालय आदेश दिनांक 02.02.2024 से प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 3 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 3 की अनुपस्थिति रिकार्ड की गई। प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। प्रकरण में तहसीलदार डूंगला के पत्रांक/राजस्व/2023/1016 दिनांक 20.01.2023 से मूल अभिलेख पत्रावली प्राप्त हुई है जो कि पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर है।

न्यायालय हाजा में उभयपक्षकारान के मध्य लंबित दीगर प्रकरण संख्या 201/2022(रा.अ.) अनवानी शंकर बनाम रामलाल वगैराह अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अपील विरूद्ध निर्णय एवं आदेश तहसीलदार डूंगला के प्रकरण संख्या 008/2021 निर्णय दिनांक 22.11.2021 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय तहसीलदार डूंगला प्रकरण संख्या 008/2021 निर्णय दिनांक 22.11.2021 पेश कर निवेदन किया कि मौजा रावतपुरा पटवार हल्का रावतपुरा तहसील डूंगला की आराजी संख्या 246 एवं 260 कुल किता 02 कुल रकबा 1.47 हैक्टेयर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण की संयुक्त खातेदारी के संबंध में अधीनस्थ तहसीलदार डूंगला द्वारा बंटवाडा दिनांक 22.11.2021 न्याय नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

इस पर अपील अपीलार्थी प्रकरण संख्या 201/2022(रा.अ.) पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जरिये नोटिस के तलब किया गया, एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में सुनवाई के दौरान न्यायालय आदेश दिनांक 02.02.2024 से प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 की अनुपस्थिति रिकार्ड की गई। प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। न्यायालय आदेश दिनांक 12.07.2024 को प्रत्यर्थी संख्या 2 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से प्रत्यर्थी संख्या 02 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। प्रकरण में अधीनस्थ तहसीलदार डूंगला के पत्रांक/राजस्व/2023/1017 दिनांक 20.01.2023 से मूल अभिलेख पत्रावली प्राप्त हुई है जो कि पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर है।

न्यायालय हाजा में लंबित उक्त दोनो प्रकरणों ग्राम रावतपुरा पटवार हल्का रावतपुरा तहसील डूंगला की आराजी संख्या 22 रकबा 1.49 हैक्टेयर, 23 रकबा 0.97 हैक्टेयर, 24 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 25 रकबा 0.57 हैक्टेयर, 246 रकबा 0.66 हैक्टेयर, 260 रकबा 0.81 हैक्टेयर व 316 रकबा 0.34 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 4.95 हैक्टेयर जो की खाता संख्या 130 में दर्ज रेकार्ड रही है। उक्त आराजीयात के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार डूंगला द्वारा पृथक–पृथक प्रकरण संख्या 008/2021 एवं 009/2021 से किये गये सहमति विभाजन के विरूद्ध हस्तगत प्रथम अपील पृथक–पृथक प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अपील के एक समान आधार एवं तथ्य होने से एवं निर्णय में एकरूपता रखने के उद्देश्य से उक्त दोनों अपीलों को एक साथ सुनवाई हेतु रखा जाकर दोनो अपीलों में एक ही निर्णय पारित किये जाने का आदेश दिया गया। इस पर प्रकरण में बहस पत्रावलियां सुनी गई।

इस पर सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा सर्वप्रथम मियाद प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के आधार पर प्रत्यर्थीगण द्वारा नामान्तरकरण खुलवाया गया, उक्त नामान्तरकरण के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 अपीलार्थी की आराजी पर कब्जा करने पर उतारू हुए और कहा की आराजीयात का बंटवाडा होकर निर्णय से हमाने नाम दर्ज होने से कब्जा करेगें, जिस पर अपीलार्थी ने पटवारी हल्का से जानकारी की तो अधीनस्थ न्यायालय से विभाजन का निर्णय हुआ जिस पर दिनांक 17.10.2022 को प्रकरणो के निर्णय की जानकारी हुई एवं इंतकाल की जानकारी हुई। प्रकरण के निर्णय की नकल प्राप्त होने पर अधिवक्ता से सम्पर्क कर कानूनी राय प्राप्त हुई उसके पश्चात् अधिवक्ता से कानूनी राय प्राप्त कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद पेश है।

इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र में बताया कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण ने तहसीलदार डूंगला के यहां स्वयं उपस्थित होकर आपसी सहमति से व स्वीकृति से ग्राम रावतपुरा में स्थित संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेयाबी की आराजी बंटवाडा विभाजन किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पत्र अपीलार्थी स्वयं के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित है। तहसीलदार डूंगला आपसी सहमति एवं स्वीकृति के विभाजन आवेदन स्वीकार कर सभी खातेदारों के मध्य विभाजन का आदेश को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पारित कर भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक–पृथक खातेदारी दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया। राजस्व रेकार्ड में विभाजन एवं नामान्तरकरण की जानकारी अपीलार्थी ने जानबूझ कर असत्य अभिवचन कर बिना उचित व सम्भाव्य कारण का उल्लेख कर यह अपील न्यायालय के समक्ष 30 दिन की अवधि व्यतीत होने के उपरांत प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थी ने विलम्ब की अवधि को कण्डोन किये जाने हेतु कोई उचित व सम्भाव्य कारणों का उल्लेख नहीं किया है, ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुती में हुई देरी का उचित कारण नहीं होने से मियाद काबिल कण्डौन नहीं है और अपील बेरून मियाद होने से खारीज योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया तथा गुप्त रूप से प्रक्रिया संचालित की गई। विभाजन आदेश आराजीयात में निहित अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण के हक हिस्से के विपरित होकर एक तरफा मनमाना है व गुपचुप तरीके से जारी किया गया है इसलिए अपीलार्थी को इसकी पूर्व में जानकारी नहीं हो सकी इसलिए जानकारी होते ही प्रार्थी ने अपील प्रस्तुत की है इसलिए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाना आवश्यक है। आवेदन देरी को क्षम्य कराने हेतु शपथ–पत्र के साथ प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना–पत्र अपीलार्थी का आवेदन मंजूर फरमा कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को विस्तारित (क्षम्य) किये जाने का आदेश प्रदान करावे। इसी ईल्तजा के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र बाबत् मियाद अधिनियम समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्रों का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना–पत्र का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। हस्तगत प्रकरण को मियाद के साथ–साथ गुणावगुण पर भी देखा जाना उचित प्रतीत होता है, अतः पत्रावली को गुणावगुण पर सुनने के आदेश दिये गये।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस पत्रावली में अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अपीलार्थी अनपढ व्यक्ति है, केवल अंगूठा लगता है। अपीलर्थी को कानून की कोई जानकारी नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 प्रभावशाली व्यक्ति है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आराजी संख्या 22, 23, 24, 25 कुल किता 4 कुल रकबा 3.14 हैक्टेयर का हिस्से अनुसार विभाजन करा आपसी सहमति का बंटवाडा कराए जाने हेतु प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में तहसीलदार डूंगला के यहां प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने उपस्थित होकर आराजीयात का बंटवाडा चाहा।

तहसीलदार डूंगला ने प्रशासन गांवों के संग ग्राम रावतपुरा में 22.11.2021 को प्रिंटेड आदेशिका में पक्षकारान के नाम पते लिख खानापूर्ति कर बंटवाडा आदेश जारी कर दिया। तहसीलदार डूंगला ने आराजीयात का बंटवाडा किया उसमें आराजी संख्या 24 रकबा 0.11 हैक्टेयर आ0चाह अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 से 3 के शामलाती रखा। जिसमें आराजी संख्या 23, 25 अपीलार्थी के रखी एवं आराजी संख्या 22 प्रत्यर्थी के रखी।

अपीलार्थी अनपढ व्यक्ति है उसको बंटवाडा किए जाने की कोई जानकारी नहीं दी न सहमति ली। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अपने प्रभाव से बंटवाडा करा लिया। अधीनस्थ न्यायालय ने संयुक्त खातेदारी में आराजीयात दर्ज होते हुए भी दो पत्रावली चलाकर अलग–अलग बंटवाडउा किया, जबकि मौके पर पक्षकारान ने मौखिक रूप से बंटवाडा कर 1/2–1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। पटवारी हल्का रावतपुरा ने भी प्रिंटेड फार्म पर खानापूर्ति कर आराजीयात का बंटवाडा कर दिया और पक्षकारान की अंगूठा निशानी करा दी। मौके पर पटवारी ने कोई पर्चा मौका नहीं बनाया, न बंटवाडा प्रस्ताव बनाकार पक्षकारान की सहमति प्राप्त ही की, प्रत्यर्थी संख्या 2 के प्रभाव में आकर मन–मकसूद रूप से प्रिंटेड फार्म में बंटवाडा की खानापूर्ति कर दी।

इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का विधि अनुसार पारित किये जाने का अनुरोध कर प्रकरणों का निस्तारण गुणावगुण किये जाने की ईश्तदुआ के साथ ही अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की 7 आराजीयात स्थित है, उसमें से 4 आराजीयात की एक पत्रावली बनाई एवं 2 आराजीयात की एक पत्रावली बनाई। आराजी संख्या 316 का कोई बंटवाडा नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो पक्षकारान का आपसी सहमति का दस्तावेज(अनुबंध) प्राप्त किया, न प्रार्थना–पत्र प्राप्त किया। नियमों की पालना नहीं कर बंटवाडा करने का गलत आदेश प्रदान किया।

अधीनस्थ न्यायालय में पटवार हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक प्रत्यर्थी संख्या 2 के प्रभाव में आकर 1/2–1/2 हिस्से का पूर्ण रूप से विभाजन नहीं किया, जबकि पक्षकारान का 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है, उसी अनुसार बंटवाडा किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने मन–मकसूद तरीके से प्रिंटेड फार्म में खानापूर्ति कर आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को आराजीयात का आपसी सहमति बंटवाडा एक ही पत्रावली द्वारा किया जाना चाहिए, दो पत्रावली बनाए जाने की आवश्यकता नहीं थी। पक्षकारान के बीच कुल 7 आराजीयात खातेदारी में दर्ज होकर रकबा 4.95 हैक्टेयर है, उसके उपरांत भी मन–मकसूद तरीके से अलग–अलग पत्रावली बनाकर मन–मकसूद निर्णय पारित किया है जो हर तरह से निरस्त योग्य है, अन्त में प्रार्थना की गई कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार डूंगला द्वारा प्रकरण संख्या 008/2021 एवं प्रकरण संख्या 009/2021 में पारित आदेश दिनांक 22.11.2021 को निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली का वास्ते निर्णय रिजर्व किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। अधीनस्थ न्यायालय के प्राप्त अवलोकन से जाहिर हुआ है कि अपीलाधीन विभाजन आदेश प्रकरण संख्या 008/2021 एवं प्रकरण संख्या 009/2021 प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 में पारित किया गया है। हमने अधिवक्ता अपीलार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – ''**क्या अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार डूंगला द्वारा उक्त दोनों प्रकरण संख्या 008/2021 एवं 009/2021 निर्णय दिनांक 22.11.2021 में किसी प्रकार से विधिक भूल/त्रुटि कारित की गई है?, यदि हॉ तो उचित निर्णय क्या होगा?**''

हमने पत्रावली का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/ परिशीलन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया।

इसके साथ ही उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में उक्त सहमति विभाजन के संबंध में आराजी संख्या एवं रकबे के स्पष्ट विवरण के साथ दिशा अंकित नहीं की गई है।यहॉ उल्लेखनीय है कि उक्त आवेदन पत्र के साथ प्रकरणों में विभाजन हेतु स्टॉम्प (अनुबंध) प्रस्तुत नहीं किये गये है। आवेदन पत्र, विभाजन हेतु प्रस्तुत स्टॉम्प एवं विभाजन प्रस्ताव पर खातेदारन के फोटो चस्पा नहीं एवं ना ही पत्रावली पर खातेदारान की फोटो युक्त पहचान पत्र संबंधी कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, यहॉ तक प्रकरणों में खाते की जमाबंदी तक पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही आवेदन–पत्र में अंकित हल्का पटवार रिपोर्ट अनुसार खातेदार कृषकों की आपसी रजामंदी होने से मूल खाते में दर्ज समस्त कृषकों की विभाजन–पत्र में होने से विभाजन स्वीकार योग्य है, जबकि प्रकरण में स्टॉम्प प्रस्तुत नहीं किये गये है। इसके साथ ही संयुक्त खातेदारी में दर्ज कुल किता 7 आराजीयात में से 6 आराजीयात बाबत् पृथक–पृथक प्ररकणों में विभाजन किया गया है, इस संबंध में पत्रावली पर कोई विशेष अंकित नहीं किया गया है एवं ना ही इस संबंध में खातेदारान की लिखित सहमति पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जो कि नियमानुसार आवश्यक तथ्य है। इस प्रकार से प्रकरण में यह तथ्य भी प्रतिवेदित होता है कि उक्त आराजीयात के विभाजन के संबंध में अधीनस्थ तहसीलदार डूंगला द्वारा हस्तगत विभाजन किये जाने में विभाजन नियमों की अनदेखी/त्रुटि कारित की गई है, ऐसी स्थिति में निर्णय के बिन्दु पर विचार किये जाने से यह तथ्य प्रतिवेदित होता की अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार डूंगला द्वारा उक्त दोनो प्रकरणों पारित विभाजन आदेश निर्णय दिनांक 22.11.2021 में वैधानिक त्रुटि कारित की गई है, जिससे हस्तगत दोनों अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य होकर प्रकरण तहसीलदार डूंगला को समुचित निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हस्तगत प्रकरण में मियाद प्रार्थना–पत्र पर निर्णय पारित किया जाना शेष है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.11.2021 अपीलार्थी की उपस्थिति में पारित नहीं किया गया है। इसके साथ ही अपील अपीलार्थी गुणावगुण पर मजबूत होकर बलवर्धक पाई गई है, एवं माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न नयायिक दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि प्रकरण को गुणावगुण ही देखा जाना चाहिए तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित नही है एवं हस्तगत अपील उपर्युक्त विश्लेषण में गुणावगुण पर मजबूत है, जिससे अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुती हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है एवं अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुती में विलम्ब हुये कुलिया विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद शुमार किये जाने का आदेश दिया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तहसीलदार डूंगला द्वारा अपीलाधीन प्रकरण संख्या 008/2021 एवं प्रकरण संख्या 009/2021 निर्णय दिनांक 22.11.2021 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक/वैधानिक भूल/त्रुटि कारित किये जाने से उक्त दोनों अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ तहसीलदार डूंगला द्वारा अपीलाधीन प्रकरण संख्या 008/2021 एवं प्रकरण संख्या 009/2021 निर्णय दिनांक 22.11.2021 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार डूंगला को प्रतिप्रेषित प्रतिप्रेषित **(Remand)** किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मौजा रावतपुरा पटवार हल्का रावतपुरा की आराजी संख्या 22 रकबा 1.49 हैक्टेयर, 23 रकबा 0.97 हैक्टेयर, 24 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 25 रकबा 0.57 हैक्टेयर, 246 रकबा 0.66 हैक्टेयर, 260 रकबा 0.81 हैक्टेयर व 316 रकबा 0.34 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 4.95 हैक्टेयर का भौतिक रूप से निरीक्षण कर पत्रावली पर सुमचित कार्यवाही करते हुऐ उभयपक्षकारान का विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में समुचित साक्ष्य/सुनवाई का अवसर देते हुऐ विश्लेषण किये गये तथ्यों के अनुसरण में विधिक निर्णय अज–सर्रे नव निर्णय पारित किया जावें। मूल निर्णय की प्रति प्रकरण संख्या 200/2022 (रा.अ.) में संलग्न की जावें तथा निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रकरण संख्या 201/2022 (रा.अ.) में हम किता की जावें। उक्तानुसार दोनों पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार डूंगला का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के भिजवाया जावे। तद्नुसार अभिलेखों में अंकन किया जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **23.02.2026** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रभा गौतम)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official